

प्रश्न,

**किस प्रकार प्र-9  
के अंतर्गत  
सर्व शिक्षा अभियान ?**

जवाब में,

**श्री. अशोक सिंह राय, जिला शिक्षा अधिकारी,  
किस प्रश्न-9 अंतर्गत प्र-9  
प्रति उत्तर, संविधान ?**

विभाग 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 10 अप्रैल, 2004

विषय:-

**श्री. अशोक सिंह के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सौंपी गई  
संविधान के अंतर्गत प्र-9 अंतर्गत प्रश्न का उत्तर देने के संबंध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय को और अधिक ध्यान आकृष्ट करते हुए जो यह ज्ञान का  
निर्देश हुआ है कि उक्त संविधान के अंतर्गत **सर्व शिक्षा अभियान** नई दिल्ली में  
संविधान के अंतर्गत प्रमाण पर दिखे जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित  
प्रतिबंधों के अधीन आकर्षित नहीं है :-

- 111 विधान के अंतर्गत नौसाली का समय-समय पर नवीनीकरण किया  
जायेगा ?
- 121 विधान के अंतर्गत नौसाली में शिक्षा निदेशक द्वारा कायम रूप में होगा।
- 138 विधान में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के  
शिक्षार्थी वर्गों के लिए सुरक्षित होंगे और उनमें 2090 माध्यमिक शिक्षा परिषद/  
केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित संस्थानों में विभिन्न जातियों के  
लिए निर्धारित शुल्क के अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी  
और यदि पूर्व में विधान के अंतर्गत शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा  
परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधान की संवैधानिक केन्द्रीय माध्यमिक  
शिक्षा परिषद/केन्द्रीय फंड के अंतर्गत अनुदान प्राप्त है तो उक्त केन्द्रीय परिषदों  
की संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि है 2090 माध्यमिक शिक्षा परिषद  
द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त  
हो जायेगा ।



- 151 संस्था के वित्तिक एवं वित्तोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूच्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से एक वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों को सेवा सौं कवायां जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असाहाय्य उच्चतर माध्यमिक शिक्षणवर्गों के कर्मचारियों को अनुसूच्य वेतन-वित्तोत्तर का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विधानमंडल का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र/पंजीकृतियों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार अध्यापक/अध्यापिकाओं के विना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिष्कार नहीं किया जायेगा ।

**प्रतिबन्धक ने दीख कि विधान द्वारा दीख कर के अन्तर निर्धारित कर के एक प्रपत्र में रखा जायेगा, जिस प्रकार का प्रपत्र/पंजीकृतियों में रखा जायेगा ।**

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पूर्ण या आंशिकता धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुसूचित प्रमाण मंत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

**श्री श्री श्री श्री**

पुस्तक एवं शिक्षा विभाग

- प्रतिबन्धक निम्नलिखित को सुधाराय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-
- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ।
  - 2- केंद्रीय शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ।
  - 3- शिक्षा विधानमंडल विभाग, नई दिल्ली ।
  - 4- निर्देशक, आंगन भारतीय विधानमंडल, 2050, नई दिल्ली ।
  - 5- प्रमुख, **श्री श्री श्री श्री** ।
  - 6- गाँव मुख ।

भारतीय  
**श्री श्री श्री श्री**

**MANAGER  
ST. MARY'S SCHOOL  
K-BLOCK, GARIMA GARDEN  
GHAZIABAD U.P-201005**

**Principal  
St. Mary's School  
K-Block, Garima Garden  
Pasonda, Ghaziabad.  
Affiliated to CBSE-2130877**